न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 42 / 2021 | तारीख दायरा 04.03.2021 | तारीख फैसला 28.9.22

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– कजोड़ आत्मज नाथू जी प्रजापति जाति कुम्हार निवासी भाटापाड़ा रामपुरा, कोटा जिला कोटा।

(वादी)

बनाम

1– कमलेश बाई पुत्री छीतरलाल, पत्नी राजेन्द्र जाति कुम्हार निवासी मील वाले बाबा के पास प्रताप नगर स्टेशन कोटा जक्शंन
2– भानु बाई पुत्री छीतरलाल प्रजापत पत्नी राजेन्द्र जाति कुम्हार निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा
3– सन्जू पुत्री छीतरलाल प्रजापत पत्नी श्रीकिशन जी जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिन्दा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
4– जेमिनी पुत्र राकेश नाबालिग जरिये वली पिता राकेश
5– रोहन पुत्र राकेश नाबालिग जरिये वली पिता राकेश
जाति कुम्हार निवासीगण अर्जुनपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा
6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>निर्णय</u>

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 1145 की रकबा 0.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 1152 की रकबा 2.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 1219 की रकबा 0.32 हेक्टर , कुल किता 3 की 2.93 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 संलग्न है–

यह कि राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 ता

3 प्रत्येक का 1/8 – 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 4– 5 का 1/16– 1/16 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है तथा मोके पर वादी व प्रतिवादीगण आपसी रजामन्दी से काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसमें वादी के कब्जे व हिस्से में खसरा नम्बर 1152 की 2.03 हेक्टर भूमि में से 1.4650 हेक्टर भूमि चली आ रही है।

यह कि उपरोक्त भूमियों में वादी का 1/2 हिस्सा है ओर वादी अपने उपरोक्त हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादीगण वादी के हिस्से के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने पर आमादा रहते है। इस पर वादी ने प्रतिवादीगण से उपरोक्त भूमि का बंटवारा करने हेतु व खसरा नम्बर 1152 की 2.03 हेक्टर में से 1.4650 हेक्टर भूमि को वादी के अलग खाते दर्ज कराने को कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये ओर बंटवारा कराने से इंकार हो गये। इस कारण वादी अपने 1/2 हिस्से की भूमि को अलग खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 20.02.2021 को उपरोक्त भूमि का बंटवारा करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण वादी से नाराज हो गये ओर प्रतिवादीगण ने भूमि का बंटवारा नहीं कराने व वादी को 1/2 हिस्से के खसरा नम्बर 1152 की 2.03 हेक्टर भूमि में से 1.4650 हेक्टर भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दिये जाने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ इस कारण वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

कि ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 1145 की रकबा 0.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 1152 की रकबा 2.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 1219 की रकबा 0.32 हेक्टर, कुल 3 किता की 2.93 हेक्टर भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से की खसरा म्बर 1152 की 2.03 हेक्टर भूमि में से 1.4650 हेक्टर भूमि को वादी के अलग खाते दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे एवं वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का मोके पर सीमाज्ञान कराया जावे एवं लगान कड़ता अलग अलग कायम किया जावे।

वादी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1– नकल जमाबन्दी ग्राम चन्द्रावला सम्वत 2071–2074

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई एवं प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत होने पर साक्ष्य वादी में कजोड़ की ओर से शपथ पत्र पेश किया एवं साक्ष्य प्रतिवादी में कमलेश की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में उपभय पक्ष को सुना जाकर दिनांक 14.06.2021 से प्राथमिक निर्णय डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार दीगोद से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाया गया। प्राथमिक निर्णय अनुसार तहसीलदार दीगोद से पत्रांक भू0अभि0/2022/2751 दिनांक 11.07.2022 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं ने विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार

–

किया गया। आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने का नोट अंकित किया गया है।

तहसीलदार दीगोद से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया:—

ग्राम चन्द्रावला की आराजी जमाबन्दी 2075—2078 खाता संख्या 76 पर खसरा नम्बर 1145 की 0.58 हे0, 1152 की 2.03 हेक्टर, 1219 की 0.32 हेक्टर मुताबिक रिकार्ड कजोड़ पुत्र नाथू हि0 1/2, कमलेश पुत्री छीतरलाल हि01/4, जेमनी ना0बा0 पुत्री राकेश हि0 1/8 , भानु बाई पुत्री छीतरलाल हि0 1/4 , रोहन ना0बा0 पुत्र राकेश हि0 1/8 , सन्जू बाई पित्री छीतरलाल हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 भाटापाड़ा खातेदार है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा अनुसार कजोड़ दक्षिण दिशा में एवं कमलेश वगै0 उत्तर दिशा में दर्शाया गया है।

कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस के अनुसार मौके पर विभाजन निम्नानुसार है:—

क्र0 सं0	खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
1	कजोड़ पुत्र नाथू जाति कुम्हार सा0 भाटापाड़ा	1152 ----- किता 1	1.4650 हे0 ----- 1.4650 हे0	नहरी I	49.81 ---- 49.81	दक्षिण
2	कमलेश बाई पुत्री छीतरलाल हि0 1/4, भानुबाई पुत्री छीतरलाल हि0 1/4, संजू बाई पुत्री छीतरलाल हि0 1/4, जेमिनी ना0बा0पुत्री राकेश वलि राकेश हि 1/8, रोहन ना0बा0पुत्र राकेश वलि राकेश. हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 भाटापाड़ा	1152/1 1145 1219 ----- किता 3 ------	0.5650 हे0 0.58 हे0 0.32 हे0 ----- 1.4650 -----	नहरी I नहरी I नहरी I	19.21 19.72 10.88 ----- 49.81 -----	उत्तर

उपरोक्त उनवान का एक वाद माननीय न्यायालय में जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करते हुए फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया गया।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी के अधिवक्ता से करवायी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं प्रस्तुत प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्राप्त

5/24

विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण का विभाजन किये जाने योग्य है।

निम्नानुसार विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है:–

कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस के अनुसार मौके पर विभाजन निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
1	कजोड़ पुत्र नाथू जाति कुम्हार सा0 भाटापाड़ा	1152 ––––– किता 1	1.4650 हे0 ––––– 1.4650 हे0	नहरी I	49.81 ––– 49.81	दक्षिण
2	कमलेश बाई पुत्री छीतरलाल हि0 1/4, भानुबाई पुत्री छीतरलाल हि0 1/4, संजू बाई पुत्री छीतरलाल हि0 1/4, जेमिनी ना0बा0पुत्री राकेश वलि राकेश हि 1/8, रोहन ना0बा0पुत्र राकेश वलि राकेश हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 भाटापाड़ा	1152/1 1145 1219 ––––– किता 3 ––––––	0.5650 हे0 0.58 हे0 0.32 हे0 ––––– 1.4650 –––––	नहरी I नहरी I नहरी I	19.21 19.72 10.88 ––––– 49.81 –––––	उत्तर

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। उभयत पक्ष में सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.9.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद